BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Ors. **…APPLICANT**

v.

State of Madhya Pradesh & Ors.

…RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 2 (Director Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh) and Respondent No. 4 (District Magistrate Balaghat)	1-3
2.	**Annexure R-1/1:** Letter dated 20.03.2025 issued by Collector, Balaghar, Madhya Pradesh to CPCB	4-5
3.	**Annexure R-2:** Minutes of Meeting of District Task Force Committee of Balaghat, Madhya Pradesh dated 30.12.2024	6-7

Filed by:

Ms. Rukhmini Bobde
Advocate on behalf of State of Madhya Pradesh
D-366, Ground Floor, Defence Colony
New Delhi-110024
Mob: 9871738029
Email: bobde.rukhmini@gmail.com

NOTARY
NIKHIL KUMAR GAUTAM
BALAGHAT (M.P.)
Reg.No.-43891/2025
Expiry Date 25-02-2030
GOVT. OF INDIA
NIKHIL KUMAR GAUTAM
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M.P.) INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhade & Ors. ...APPLICANT

v.

State of Madhya Pradesh & Ors.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 (DIRECTOR MINING AND GEOLOGY, GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH) & RESPONDENT NO. 4 (DISTRICT MAGISTRATE BALAGHAT)

I, R.K. Khatarkar, s/o G.D. Khatarkar, aged about 55 years, presently working As Mining Officer At Collector Office Mining Section Balaghat (M.P), do hereby solemnly affirm and state as under: -

1. That I am the officer-in-charge of the present case on behalf of the Respondent no. 1, i.e., the State of Madhya Pradesh, and as such, I am fully conversant with the facts and circumstances of this case.

2. The present original application was registered by this Hon'ble Tribunal in exercise of its suo-moto jurisdiction. The present application is concerning the illegal sand mining in village Chicholi in river Bawanthadi in Madhya Pradesh. This Hon'ble Tribunal had constituted a

CANCELLED NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

Joint Committee with Central Pollution Control Board being the nodal agency.

3. The Joint Committee had submitted its report on 23.12.2024, where in the Joint Committee had made a general observation that as per the sarpanch of the Sarpanch of Village Chicholi, the illegal sand mining was being done Maharashtra side of the river Bawanthadi. A copy of the letter to the same was part of the Joint Committee Report in **Annexure X.**

4. The Joint Committee had also made observations regarding the geo-coordinates given in the Mining Plan and the geo-coordinates of the pillars found at the mining site. The Joint Committee observed that the erected mine pillars did not match the coordinates mentioned in the mining plan.

5. At the outset, it is submitted that the GPS coordinates mentioned in the mining plan correspond to the actual mining area. During the demarcation of the mining site, it was found that there was no excavation found outside the mining area. However, after some time a spot inspection was conducted where it was found that there were 4 tractor trolleys involved in excavation outside the boundary wall and were involved in illegal transportation. Against the violators, the answering Respondent had registered cases and also imposed a penalty of Rs. 7,98,750/-. To this effect, a letter was also issued to the Madhya Pradesh Pollution Control Board, which has been annexed here with as **Annexure R-1/1.**

NOTARY
NIKHIL KUMAR GAUTAM
BALAGHAT (M.P.)
Reg.No.-43891/2025
Expiry Date 25-02-2030
GOVT. OF INDIA

NIKHIL KUMAR GAUTAM
ADVOCATE & NOTARY
BALAGHAT (M.P.) INDIA

6. It is submitted that the answering Respondent has also constituted a District Task Force Committee for District Balaghat, Madhya Pradesh. The issue regarding mining in village Chicholi was taken into consideration and actions were take to stop any illegal excavation in Bawanthadi River. A copy of the District Task Force Proceeding dated 30.12.2024 is annexed here with and marked as **Annexure R-1/2.**

7. That, the Answering Respondent humbly craves the leave of this Hon'ble Tribunal to adduce additional facts by way of additional affidavit as may be deemed necessary for the proper adjudication of the instant application by this Hon'ble Tribunal.

**DEPONENT **

VERIFICATION:

I, the deponent named above, do hereby verify that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct on the basis of the information derived from the record of the case and nothing material has been concealed there from.

Verified at on this 20 day of May, 2025 at Balaghat

NOTARY
NIKHIL KUMAR GAUTAM
BALAGHAT (M.P.)
Reg.No.-43891 / 2025
Expiry Date 25-02-2030
GOVT. OF INDIA

CERTIFICATION

I NIKHIL KUMAR GAUTAM,Notary Balaghat being empowered by Notaries Act.1952 and the rule made this under in the year 1956 here I certify that the document have being read over [illegible] understood the contents of this documents [illegible] affixed thumb impression on this [illegible] the witnesses.
Hence I attested [illegible] my seal and signature in my office at [illegible] 20/5/25

Balaghat (M.P

Date- 20/5/25

Notary
[illegible] KUMAR GAUTAM

DEPONENT

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 244 / खनिज / 2025 बालाघाट, दिनांक 20/03/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिंसिपल बेंच) नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में पारित आदेश दिनांक 14/02/2025 के अनुपालनार्थ जवाब दायर करने के संबंध में।

संदर्भ :-1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिंसिपल बेंच) नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में पारित आदेश दिनांक 14/02/2025

2. आपका पत्र क्र.2243/क्षेका/प्रनिबो/2025, जबलपुर, दिनांक 13/03/2025

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 02 अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिंसिपल बेंच) नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में गठित संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दायर किया गया है। प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14/02/2025 के पालन में प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व जवाब प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड द्वारा 03 बिन्दुओं मे जानकारी चाही गई है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. **प्रकरण में उल्लेखित खनन क्षेत्र का सीमांकन कब-कब किस जांच दल/अधिकारियों द्वारा किया गया।**

➤ ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी के भूमि खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का सीमांकन दिनांक 08/01/2024 तथा 31/12/2024 को राजस्व अमले द्वारा सम्पादित किया गया है।

2. **क्या खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित जी.पी.एस. कार्डिनेट्स वास्तविक खनन क्षेत्र के अनुरूप है ?**

➤ खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित जी.पी.एस. कार्डिनेट्स के अनुसार ही है, पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र में खनिज रेत की निकासी की गई है। वर्तमान में रेत समूह का समर्पण स्वीकार होने से वर्तमान में खनिज रेत की निकासी बंद है।

3. **क्या सीमांकन के दौरान निर्धारित खनिज क्षेत्र के बाहर उत्खनन होना पाया गया यदि हॉं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?**

➤ ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी के भूमि खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में खनिज रेत के स्वीकृत खदान क्षेत्र में सीमांकन के दौरान निर्धारित खनिज क्षेत्र के बाहर उत्खनन होना नहीं पाया गया। सीमांकन के पश्चात उक्त क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण दौरान स्वीकृत खदान क्षेत्र को दर्शाने वाले सीमा चिन्ह के बाहर खनिज रेत के अवैध उत्खनन में 04 ट्रेक्टर-ट्राली एवं अवैध परिवहन में वाहन डम्फर व ट्रक संलिप्त पाए गये जिनके विरूद्ध म.प्र. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत 04 अवैध उत्खनन तथा 02 अवैध परिवहन के प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अर्थदण्ड राशि 7,98,750/-रू. जमा कराई गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	प्रकरण दिनांक	उल्लंघन का प्रकार	उल्लंघनकर्ता का नाम	उल्लंघन का क्षेत्र	जप्तशुदा वाहन	खनिज	मात्रा (घ.मी.में)	अधिरोपित शास्ति राशि	जमा शास्ति राशि
1	23.04.2024	अवैध परिवहन	महादेव पारधी पिता दयाराम पारधी निवासी देवलापार तह. रामटेक, जिला नागपुर (महा.)	चिचोली / खैरलांजी	ट्रक / MP22-H-0343	रेत	16	230000	230000

2	20.05.2024	अवैध परिवहन	श्री नितीन नरेश राजा भोज निवासी– 06 इस्ट इंडिया सोसायटी, कोरडी रोड, ओम नगर मानकापुर, नागपुर (महा.)	चिचाली / खैरलांजी	डम्फर MH40-CM 6600	रेत	18	433750	433750
3	26.12.2024	अवैध उत्खनन	श्री सुरेश पटले पिता श्री चोवाराम पटले निवासी दिनेरा, थाना रामपायली जिला बालाघाट	चिचाली / खैरलांजी (ख.नं. 463 अंश भाग)	ट्रेक्टर MP50-A-7131	रेत	09	33750	33750
4	31.12.2024	अवैध उत्खनन	श्री लीलाधर किरनापुरे पिता कुलपत किरनापुरे निवासी ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट	चिचाली / खैरलांजी (ख.नं. 463 अंश भाग)	ट्रेक्टर MP50-AA-3867	रेत	09	33750	33750
5	31.12.2024	अवैध उत्खनन	श्री नरेश उके पिता श्री दौलत उके निवासी ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट	चिचाली / खैरलांजी (ख.नं. 463 अंश भाग)	ट्रेक्टर MH36-Z-3943	रेत	09	33750	33750
6	31.12.2024	अवैध उत्खनन	श्री कुंवरलाल पिता जियतु दमाहे निवासी किन्ही तह. खैरलांजी जिला बालाघाट	चिचाली / खैरलांजी (ख.नं. 463 अंश भाग)	ट्रेक्टर चे.नं. 006510471V2	रेत	09	33750	33750

तद्नुसार प्रकरण के संबंध में वांछित जानकारी संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / 244-A / खनिज / 2025 बालाघाट दिनांक 20 / 03 / 2025

प्रतिलिपि :–

संयुक्त संचालक, स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक/1218 /टा.फो./2024 बालाघाट, दिनांक 30/12/2024

कार्यवाही विवरण

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 30.12.2024 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.12.2024 को अपराह्न 01:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	श्री नगेन्द्र सिंह	–	पुलिस अधीक्षक
2.	श्री आर.के खातरकर	–	जिला खनि अधिकारी, बालाघाट
3.	श्री अनिमेश गढ़पाल	–	जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट
4.	श्रीमति विनीता ब्रम्हे	–	एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) दक्षिण बालाघाट
5.	श्री प्रशांत साकरे	–	एस.डी.ओ. (फॉरेस्ट) उत्तर बालाघाट
6.	श्री अजय ठाकुर	–	सहा. संचालक, कान्हा नेशनल पार्क,
7.	सर्व खनि निरीक्षक	–	खनिज शाखा, कलेक्टोरेट बालाघाट

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ19–23/2005/12/2 दिनांक 22.03.2006 एवं पत्र क्रमांक 1029 भोपाल दिनांक 13.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण रखने बाबत् जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।

   (कार्यवाही–खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)

2. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत रखते हुये सभी वाहनों में स्पीड गर्वनर एवं रेडियम लगाये जाने का निर्णय लिया जाकर ऐसे वाहनों की नियमित रूप से जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

   (कार्यवाही–जिला यातायात प्रभारी, जिला खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी)

3. खनिजों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाहनो पर ओव्हरलोड रोकने हेतु खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहन, विनिर्माता (कंपनी) के द्वारा विनिर्दिष्ट मूल स्वरूप में ही कार्यरत रहें एवं वाहनों की भार क्षमता अनुसार ही खनिजों का परिवहन किया जाये तथा वाहनों में भार सामने/पीछे की ओर या ऊंचाई में या साईड से परे अनुज्ञेय सीमा से अधिक बाहर निकला होना/स्लेब/पट्टी पूरी तरह से बंद किये जाने निर्देशित किया गया।

   (कार्यवाही–खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी एवं समस्त पुलिस थाना प्रभारी)

4. ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी अंतर्गत बावनथडी नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन की अत्यधिक शिकायत प्राप्त होती है, अतः समन्वय से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार एवं खनि निरीक्षक नियमित रूप से ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी स्थित बावनथडी नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु सतत् निगरानी रखेगें।

   (कार्यवाही–संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, खनि निरीक्षक)

5. समस्त निर्माण कार्य विभाग निर्माण कार्यों में उपयोगित गौण खनिज की रॉयल्टी के संबंध में म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 14–10/2018/12/1 भोपाल दिनांक 15.03.2018 अनुसार संबंधित ठेकेदार से ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में निर्माण कार्य में उपयोगित गौण खनिज मात्रा के बाजार मूल्य की राशि वसूल किया जाकर खनिज मद में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

   (कार्यवाही–समस्त निर्माण कार्य विभाग, जिला बालाघाट)

6. जिला अंतर्गत जिन स्थानों से खनिज रेत के अवैध उत्खनन की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त होती है या जहां पर रेत उपलब्ध है उन स्थानों को चिन्हित कर नवीन रेत खदान घोषित किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खनि अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जनपद पंचायत एवं खनि निरीक्षक)

7. खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जांच दौरान संबंधित पुलिस थाना खनिज अमले को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चत करेंगे।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट)

8. मुख्य खनिज के लेप्स हेतु प्रेषित खनिपट्टा क्षेत्रों का भ्रमण कर नवीन खनिज ब्लॉक चिन्हित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)

9. समस्त खनि निरीक्षक प्रभार अंतर्गत स्वीकृत खदानों का भ्रमण/निरीक्षण करेंगे एवं सुसंगत विधि से कर निर्धारण कर अधिक से अधिक राजस्व जमा कराये जाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– खनि निरीक्षक)

10. जिला अंतर्गत स्वीकृत खनि रियायतों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार मुनारे एवं खदान की अवस्थिति दर्शाने वाले बोर्ड लगवाये जाने निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

खनि अधिकारी
खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

पृ.क्र/1218-A/टा.फो./2024

बालाघाट, दिनांक 30/12/2024

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2– प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म 29–ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
4– पुलिस अधीक्षक, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– वनमण्डलाधिकारी दक्षिण/उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– क्षेत्र संचालक, कान्हा टाईगर रिजर्व जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
8– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
9– जिला परिवहन अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10– समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11– समस्त तहसीलदार, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12– .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

खनि अधिकारी
खनि अधिकारी
जिला–बालाघाट (म.प्र.)
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला–बालाघाट (म.प्र.)